कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी फर्रूखाबाद।

संख्या 5619 /आ0ले0–जि0अ0–2014 दिनांक 06 जून 2014

आदेश

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में विभिन्न विभागों के कार्यो का सतत अनुश्रवण किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा निर्देश दिये जाते हैं:–

1– वर्तमान सरकार के कार्यकाल में चयनित समस्त लोहिया समग्र ग्रामों की अद्यतन स्थिति सम्बन्धित नोडल अधिकारी के पास रहनी चाहिए। अद्यतन स्थिति के लिए सम्बन्धित नोडल अधिकारी सम्बन्धित ग्राम के लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी, परिषदीय स्कूल के प्रधानाध्यापक, गांव के बूथ लेबिल अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, ए0एन0एम0, आशा [illegible], सफाई कर्मचारी, विद्युत लाइनमैन एवं विभिन्न शासकीय कर्मचारियों के अतिरिक्त ग्राम प्रधान का मोबाइल नम्बर अपने पास रखेंगे और सप्ताह में एक बार उपरोक्त सभी से बात करते रहेंगे और ग्राम से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करते रहेंगे।

2– नोडल अधिकारी सप्ताह में सुविधानुसार एक दिवस देर सांयकाल अपरान्ह 6–00 बजे के उपरान्त कम से कम दो घन्टे गांव के प्राथमिक विद्यालय में कैम्प लगाकर बैठक करेंगे, कैम्प दिवस और समय से ग्राम प्रधान, ग्राम स्तरीय उपरोक्त कर्मचारियों व ग्रामवासियों को सूचित करेंगे। जिससे जन सामान्य को आयोजित कैम्प की सूचना मिल जाय और वह अपनी समस्या के सम्बन्ध में उपरोक्त निर्धारित समय पर सम्बन्धित कर्मचारी से मिल सकें और अपनी समस्या का निराकरण करा सकें।

3– कैम्प दिवस में निर्धारित समयावधि के उपरान्त यदि आवश्यक हो तो गांव में और अधिक समय उपलब्ध रहकर जन समस्याओं का निराकरण कराया जाय। जिन समस्याओं का स्थल पर निराकरण हो जाता है अथवा जिन समस्याओं का निराकरण नोडल अधिकारी के स्तर पर नहीं हो सकता है, उनके सम्बन्ध में एक टिप्पणी अंकित कर अगले दिन मुख्य विकास अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। मुख्य विकास अधिकारी व अपर जिलाधिकारी उसी दिन सम्बन्धित अधिकारियों को अपेक्षित कार्यवाही हेतु दूरभाष पर निर्देश देंगे और कार्य के पूर्ण होने तक अनुश्रवण करते रहेंगे।

4– उपरोक्त कैम्प दिवस से सम्बन्धित एक रजिस्टर बनाया जायेगा जो नोडल अधिकारी अपने पास रखेंगे और इस रजिस्टर पर कैम्प दिवस के दिन उपस्थित रहने वाले उपरोक्त क्षेत्रीय कर्मचारियों के हस्ताक्षर, शिकायतों का विवरण व निराकरण के उपाय अपने हस्तलेख में अंकित करेगा।

5– सभी नोडल अधिकारियों के कैम्प दिवस निर्धारित होने के उपरान्त जिला स्तरीय अधिकारियों यथा अधोहस्ताक्षरी के अतिरिक्त अपर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उपायुक्त, मनरेगा, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा आकस्मिक रूप से किसी न किसी गांव में पहुंच कर नोडल अधिकारी द्वारा लगाये जा रहे कैम्प की जानकारी प्राप्त की जायेगी।

6– नोडल अधिकारी द्वारा गांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय एव बी0पी0एल0 राशनकार्ड धारकों को वितरित होने वाली सामग्री का भी अनुश्रवण करेंगे और सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान का स्टाक व वितरण रजिस्टर का अवलोकन करेंगे और टिप्पणी उपलब्ध करायी जायेगी।

7– नोडल अधिकारी उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त गांव में फसलों के उत्पादन की स्थिति, पशुओं के स्वास्थ्य एवं रोग तथा टीकाकरण की स्थिति, ट्रान्सफारमर एवं विद्युत आपूर्ति आदि के सम्बन्ध में जानकारी करके तत्सम्बन्धी टिप्पणी अंकित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

किसी भी उच्चाधिकारी अथवा मा0 मुख्य मंत्री जी के भ्रमण के दौरान यदि कोई कमी पायी गई तो इसके लिए सम्बन्धित नोडल अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। अतः सभी नोडल अधिकारी इस बात को अपने मस्तिष्क में गम्भीरता से रखना सुनिश्चित करें।

3/6/14
(एन0के0एस0 चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।

प्रतिलिपि :—

1— आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
2— अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) फर्रूखाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3— मुख्य विकास अधिकारी फर्रूखाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4— मुख्य चिकित्साधिकारी फर्रूखाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5— समस्त नोडल अधिकारी लोहिया समग्र ग्राम वर्ष 2012—13, 2013—14 व 2014—15 को अनुपालनार्थ।
6— समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अनुपालनार्थ।
7— जिला सूचना अधिकारी फर्रूखाबाद को समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।

3/6/14
(एन0के0एस0 चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।